कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2021 / 176 दिनांक :: 05 फरवरी, 2021

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री कमर चौधरी, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 5 फरवरी, 2021 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 12 नवम्बर 2020 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक **12 नवम्बर 2020** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है । अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **12 नवम्बर 2020** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 12 नवम्बर, 2020 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान, 2031 (प्रारूप) को अंतिम रूप दिये जाने के संबंध मे।

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2020 को वी. सी. के माध्यम से आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) के संबंध मेंनिर्णय लिया गया कि उक्त मास्टर प्लान का कार्य मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर के साथ समन्वय स्थापित कर दिनांक 30.09.2020 तक पूर्ण किया जावें। प्रमुख शासन सचिव व अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.08.2020 से 31.08.2020 तक जोधपुर प्रवास के दौरान निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण के निदेशक आयोजना व उनकी शाखा में पद स्थापित अधिकारी कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर में कैम्प कर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे। उक्त क्रम में निदेशक अयोजना व उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर में उपस्थित होकर कार्य संपादित किया गया।

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) पर पूर्व निर्धारित अवधि में आमजन से प्राप्त कुल 1158 आपत्ति/सुझावों पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी है। प्राधिकरण स्तर पर तैयार की गयी आपत्ति/सुझाव रिपोर्ट में उल्लेखित निर्णयों को यथा संभव यथावत ही रखा गया है, परन्तु जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 व 15.12.2018 के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर एवं कमिटमेंट्स के दृष्टिगत आवश्यक वांछित संशोधन संलग्न रिपोर्ट में प्रस्तावित किये गये है।

वर्तमान में भी जन प्रतिनिधियों एवं अन्य द्वारा आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये गये है। जिनका परीक्षण कर टिप्पणी संलग्न रिपोर्ट में उल्लेखित की गयी है। इन आपत्ति/सुझावो को तकनीकी परीक्षण उपरान्त यथा संभव समायोजित किये जाने का प्रयास किया गया है ताकि मास्टर डवलपमेन्ट प्लान को व्यावहारिक रूप दिया जा सकें।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण (योजना का तैयारी एवं मंजूरी) विनियम, 2014 के अंतर्गत मास्टर प्लान तैयार करने एवं अनुमोदन की शक्तियां प्राधिकरण में निहित है। अतः

Scanned with CamScanner

मुख्य नगर नियोजक महोदय, राज. जयपुर द्वारा जरिये पत्रांक टीपीआरः 1121/MP(E)/JDZ/JODHPUR/2019/591 दिनांक 13.01.2021 के द्वारा प्रेषित संक्षिप्त रिपोर्ट मय मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 के प्रस्तावित मानचित्रों व पुस्तिका में वांछित संशोधन कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2021 अनुसार आवासीय कॉलोनीयों के नियमन बाबत् निर्देश जारी किये गये है जिनमें एक लाख से अधिक आवादी के शहरों हेतु जोनल प्लान लागू होना आवश्यक है। वर्तमान में प्राधिकरण के जोन पूर्व का जोनल प्लान का प्रारूप जारी किया जा चुका है एवम् जोन पश्चिम व दक्षिण के जोनल प्लान का कार्य प्रकियाधीन है एवम् जोन उत्तर के जोनल प्लान वनाये जाने का कार्यदेश भी जारी किया जा चुका है। मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 को लागू किये जाने से पूर्व जोनल प्लान का अनुमोदन सम्भव नही है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में भी शहर के नियोजित विकास हेतु जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 को अनुमोदित कर लागू किया जाना शीघ्र आवश्यक हैं।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक–आयोजना द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत की गइ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रारूप मास्टर प्लान पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। मास्टर प्लान – 2031 के अनुमोदन की अभिशंषा के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 103, 103/1 का रकबा 13068 वर्गगज भूमि का वर्तमान भू–उपयोग सरकारी एवं अर्द्धसरकारी से होटल प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग सरकारी एवं अर्द्धसरकारी से होटल प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 103, 103/1 का रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा (13068 वर्गगज) भूमि का जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग सरकारी एवं अर्द्धसरकारी से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/16/2020 आवेदक श्री जुगलकिशोर पुत्र श्री भैरूराम।)

आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 30.09.2020 एवं राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक– 30.09.2020 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 103, 103/1 का भू–उपयोग लैण्ड यूज प्लान 2023 के अन्तर्गत सरकारी एवं अर्द्धसरकारी आरक्षित है।

कनिष्ठ अभियन्ता एवं पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है। आवेदित भूमि का स्वामित्व खसरा संख्या 103/1 03.07.10 बीघा किस्म बा.प्रथम व खसरा संख्या 103 का रकबा 03.07.10 बीघा

Scanned with CamScanner

किस्म बा. प्रथम कुल खसरान् 2 कुल रकबा 06.15 बीघा जुगल किशोर पुत्र श्री भैरूराम जाति भील निवासी नई भील कॉलोनी, चांदपोल के बाहर, जोधपुर के नाम राजस्व रेकर्ड अनुसार है। आवेदित भूमि व 60' सड़क भाग के साथ व आवेदित भूमि के साथ खसरा सख्या 98 की भूमि में से प्राधिकरण द्वारा निहित की गई सड़क स्थित है, जो खसरा सख्या 188/1, 188/2, 188/10 व 188/11 रकबा 10.03 बीघा तक मुख्य सड़क से लिंक है, तथा जो आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग है। आवेदित भूखण्ड आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदित भूमि का सरकारी एवं अर्द्धसरकारी से होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक- 12.04.2018 अनुसार होटल प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना है तथा उक्त भू-उपयोग परिवर्तन होने से पर्यटन ईकाई के क्षेत्र में बढावा मिलेगा तथा रोजगार की संभावनाओं में भी बढोत्तरी होगी। प्रकरण में पर्यटन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक- 21.11.2019 के अनुसार स्थानीय स्तरीय समिति की वृहद जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण टिप्पणी व स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में विचारार्थ भिजवाया जाना अपेक्षित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में उपस्थित निदेशक-आयोजना द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 514/1 रकबा 2579.72 वर्गगज के वर्तमान भू-उपयोग वेयर हाउस, गोदाम प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ हेतु भू-उपयोग परिवर्तन।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान-2023 में आरक्षित वर्तमान भू-उपयोग वेयर हाउस, गोदाम प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ हेतु भू-उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 514/1 रकबा 2579.72 वर्गगज के वर्तमान भू-उपयोग वेयर हाउस, गोदाम प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ. 37/भूउप/02/2020 आवेदक श्रीमती मीरा देवी पत्नि श्री छैलाराम।)

आवेदकगण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक- 13 जून, 2020 एवं राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक-13 जून, 2020 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार भूमि का वर्तमान भू-उपयोग लैण्ड युज प्लान-2023 जोधपुर के अन्तर्गत थोक व्यापार के अन्तर्गत आरक्षित है, उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान-2023 के अन्तर्गत सब आरटेरियल सड़क (120'-160') रखा गया है। तथा कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट आवेदित भूमि स्टेट हाई-वे पर स्थित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) में जिसका मार्गाधिकार 200 फीट है।

Scanned with CamScanner

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर आवेदित भूमि रिक्त है, व चार दीवारी निर्मित है। मौके पर आवेदित भूमि के सामने स्टेट हाई–वे डामर सड़क 24′ चौडी निर्मित है। निर्मित सड़क के मध्य से आवेदित भूमि की दूरी 49′ है। मौके पर एल.टी. लाईन सड़क मार्ग में उपलब्ध है। आवेदित भूमि के 2 कि.मी. की परिधी में अन्य कोई पेट्रोल पम्प एवं अन्य ज्वलनशील भण्डारण नहीं है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 541/1 रकबा 1.06.13 बीघा किस्म–वा का स्वामित्व जमाबन्दी अनुसार मीरा देवी पत्नि श्री छैलाराम कुम्हार निवासी– तेजानगर, झालामण्ड के नाम राजस्व रेकर्ड अनुसार है।

आवेदित भूमि आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

सहायक नगर नियोजक के अनुसार एकीकृत भवन विनियम–2017 के प्रावधान 8.2.2(ज)(प) अनुसार पेट्रोल पम्प (चौपहिया/दो पहिया वाहनों हेतु) भूखण्ड की न्यूनतम चौड़ाई 20 मी. ग 20 मी. त्र 400 वर्गमीटर आवश्यक है। साथ ही सड़क की न्यूनतम चौडाई 24 मीटर आवश्यक है, जो कि मौके पर उपलब्ध है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत एल. ओ.आई. में पेट्रोल पम्प की चौडाई 35 मी. ग 35 मी. दर्शित है।

उप–नगर नियोजक की चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्टेट हाई–वे डामर सड़क 24′ चौडी निर्मित है। सड़क मध्य से भूमि की दूरी 49′ है। मास्टर प्लान–2023 अनुसार सड़क की चौड़ाई 120′–160′ है, तथा आवेदित भूमि जंक्शन पर स्थित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार स्टेट हाई–वे का मार्गाधिकार 200′ है। उक्त पेट्रोल पम्प की स्थापना से आस–पास के लोगों के लिए ईधन की उपलब्धता की सुविधा होगी तथा रोजगार की संभावनाएं भी बढेगी।

अतः उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 23.05.2018 में उल्लेखित प्रावधानुसार वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक– 21.11.2019 के क्रम में आवेदित भूमि के वेयर हाउस, गोदाम प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में उपस्थित निदेशक–आयोजना द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 15/2 रकबा 1839.2 वर्गगज के वर्तमान भू–उपयोग मुख्य सड़क पर ओ.सी.एफ. एंव आवासीय प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग मुख्य सड़क पर ओ.सी.एफ. एवं आवासीय प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग

Scanned with CamScanner

		परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 15/2 रकबा 1839.2 वर्गगज के वर्तमान भू-उपयोग मुख्य सड़क पर ओ.सी.एफ. एवं आवासीय प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/15/2020 आवेदक श्री पेमाराम पुत्र श्री आईदान।)

आवेदकगण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक-26 सितम्बर, 2020 एवं राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक-26 सितम्बर, 2020 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

कनिष्ठ अभियन्ता एवं पटवारी की संयुक्त रूप से मौका निरक्षण की रिपोर्ट में आवेदित भूमि से कोई एच.टी. या एल.टी. लाईन नहीं गुजर रही है। मौके पर भूमि रिक्त है, आवेदित भूमि स्टेट हाईवे 61 पर स्थित है। मौके पर 60' (पहुँच मार्ग) बी.टी/सी.सी. उपलब्ध हो रहा है एवं उक्त भूमि के 100 मीटर दायरे में कोई ज्वलनशील ईकाई नही है तथा आवेदित भूमि के 2 कि.मी. की परिधी में अन्य पेट्रोल पम्प उपलब्ध नहीं है। आवेदित भूमि का स्वामित्व पेमाराम पुत्र आईदान राम जाति जाट सा. देह खातेदार खसरा संख्या 15/2 रकबा 25.05 बीघा किस्म वा. राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज है। जोन उपायुक्त की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि वायु सेना स्टेशन से 100 मीटर 900 मीटर परिधि के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवस्थित नहीं है।

वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार भूमि का भू-उपयोग लैण्ड युज प्लान-2023 जोधपुर के अन्तर्गत मुख्य सड़क पर ओ.सी.एफ. (अन्य सामुदायिक सुविधाऐं) एवं उसके बाद में आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, मास्टर प्लान 2023 के अनुसार मुख्य सड़क का मार्गाधिकार 120' रखा गया है।

सहायक नगर नियोजक रिपोर्ट अनुसार जोधपुर मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग मुख्य सड़क पर ओ.सी.एफ. (अन्य सामुदायिक सुविधा) एवं उसके बाद आवासीय प्रयोजनार्थ में आरक्षित है। उक्त आवेदित भूमि स्टेट हाई-वे पर स्थित है, जिसका सड़क मार्गाधिकार मास्टर प्लान रिपोर्ट अनुसार 200 फुट निर्धारित है, किन्तु लैण्ड यूज प्लान अनुसार 120 फुट दर्शाया गया है। एकीकृत भवन विनियम-2017 अनुसार पेट्रोल पम्प (दो पहिया एवं चौपहिया वाहनों हेतु) न्यूनतम 20मी. ग 20मी.त्र 400 वर्गमीटर आवश्यक है, एवं 24 मीटर सड़क चौड़ाई अपेक्षित है।

आवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के संबंध में कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक- 21.11.2019 के क्रम में आवेदित भूमि के वर्तमान भू-उपयोग ओ.सी. एफ. एवं आवासीय प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक- 23.05.2018 में उल्लेखित प्रावधानुसार वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) गतिविधियों को व्यापक जनहित की श्रेणी माना गया है। उक्त पेट्रोल पम्प की स्थापना से आस-पास के लोगों के लिए ईधन की उपलब्धता की सुविधा होगी तथा रोजगार की संभावनाएं भी बढेगी।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक-आयोजना द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 6 :: **ओवरड्राफ्ट का नवीनीकरण करने एंव ओवरड्राफ्ट की सुविधा 40.00 करोड़ उपलब्ध कराने बाबत्।**

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नही छिपाया गया है।	प्रस्ताव की अनुशंषा की जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, पावटा शाखा जोधपुर से अपने खातें में राशि रूपयें 20.00 करोड़ का अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध है। जोधपुर विकास प्राधिकरण में आकस्मिक रूप एक साथ भुगतान करने की आवश्यकता देखते हुए इस अधिविकर्ष की सुविधा में नवीनीकरण कर अधिविकर्ष सुविधा राशि 20.00 करोड़ से बढाकर रूपये 40.00 करोड़ करने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भूमि ग्राम चौखा के खसरा संख्या 28 की 500 बीघा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जा चुके है।

अतः बैंक अधिविकर्ष की सीमा रूपयें 40.00 करोड़ की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक–वित्त द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 07 **::बजट घोषणा वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत जोधपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ऑडिटोरियम निर्माण की डी.पी.आर बनाने हेतु कन्सलटेन्सी कार्य Consultancy work for preparation of Detailed Project Report for Construction of Auditorium of International Standard Under Tagore Cultural Complex Scheme along With Development of different allied facilities at Jodhpur जिसकी कन्सलटेन्सी कार्य लागत राशि रू. 184.36 लाख है, की प्रशासनिक एंव तकनीकी स्वीकृति , टर्म ऑफ रेफ्रेन्स अनुमोदन एंव कन्सलटेन्ट नियुक्त करने की स्वीकृति बाबत्।**

क्रस.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है।	जोधपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ऑडिटोरियम निर्माण की डी.पी.आर बनाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, टर्म ऑफ रेफ्रेन्स अनुमोदन एवं कन्सलटेन्ट नियुक्त करने के अनुमोदन का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वित्तीय वर्ष 2020–21 की घोषणा संख्या 146–147 अनुसार जोधपुर में **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर** के आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। उच्च स्तरीय विचार विमर्श अनुसार राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, जोधपुर परिसर में **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर** के आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

प्राधिकरण द्वारा **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर** के आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु कन्सलटेन्ट नियुक्त करने के लिए ई.ओ.आई दिनांक 14.01.2021 को आमन्त्रित कर दी गयी एवं दिनांक 25.01.2021 को कन्सलटेन्सी कार्य की ई.ओ.आई खोल दी गई। ई.ओ.आई की शर्तो अनुसार मैसर्स प्रमोद जैन एण्ड एसोशिएट्स, जयपुर सफल कन्सलटेन्ट रहे जिनके द्वारा नेगोसिएशन पश्चात अनुमानित परियोजना लागत की 1.90 प्रतिशत + जी.एस.टी अतिरिक्त की दर प्रस्तुत

Scanned with CamScanner

की गई। ई.ओ.आई अनुसार परियोजना लागत लगभग राशि रू. 80.00 करोड़ अनुमानित की गई है। ई.ओ.आई की शर्त के अनुसार कन्सलटेन्ट को उक्त दर के अतिरिक्त निर्माण समय में प्रति साइट विजिट पर राशि रू. 25000/- का भुगतान प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त देय रहेगा। अतः कन्सलटेन्ट मैसर्स प्रमोद जैन एण्ड एसोशिएट्स, जयपुर द्वारा नेगोसिएशन पश्चात प्रस्तुत दर (अनुमानित परियोजना लागत का 1.90 प्रतिशत), जीएसटी राशि (18 प्रतिशत) एवं साइट विजिट (लगभग 20 साइट विजिट) के अनुसार कुल राशि रू. 184.36 लाख की वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकि स्वीकृति एवं टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति एवं मैसर्स प्रमोद जैन एण्ड एसोशिएट्स, जयपुर को प्रस्तुत दर अनुसार कन्सलटेन्ट नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक-अभियांत्रिकी द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन एवं प्रकरण में स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोन पश्चिम मे Construction of Road Around Kaylana Lake Jodhpur की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति के संबंध में ।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेन्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	प्रस्ताव की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति पी.डब्लयु.सी की बैठक दिनांक 04.01.2021 को ई.सी की प्रत्याशा मे राशि रू 3066.00 लाख की स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। ई.सी बैठक की प्रत्याशा मे राशि रू 3066.00 लाख की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति क्रमांक 1040 दिनांक 05.01.2021 जोब नं. 159/2020-21 जेडीए पश्चिम जारी कर दी गई।

अतः प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति के अनुमोदन हेतु एजेण्डा नोट बनाकर कार्यकारी समिति के सक्षम प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक-अभियांत्रिकी द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: Upgragation/Renovation of Civil work of South pavilion of Barkatullha khan stadium at Jodhpur

क्र. सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार तथ्य प्रस्तुत है।	Upgragation/Renovation of Civil work of South pavilion of Barkatullha khan stadium at Jodhpur

Upgragation/Renovation of Civil work of South Pavilion of Barkatullha Khan Stadium at Jodhpur का कार्य की राशि रू. 514.00 लाख की कार्यकारी समिति ईसी की प्रत्याशा में प्रशासनिक एंव वित्तिय स्वीकृति जारी की गई थी ।

Scanned with CamScanner

क्र. सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार तथ्य प्रस्तुत है।	Electric work of South pavilion of Barkatullha khan stadium at Jodhpur

बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में दक्षिण पैवेलियन के विभिन्न विद्युत कार्य :–
(01) एयर कंडिश्नर कार्य पर राशि रू. 118.50 लाख
(02) विद्युत कार्य पर राशि रू. 48.50 लाख
(03) फायर फाईटिंग कार्य पर राशि रू. 21.00 लाख
(04) लिफ्ट कार्य पर राशि रू. 29.22 लाख

कुल राशि रू. 217.22 लाख का तकमीना बनाया गया जिसकी निविदा प्रकियाधीन है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में दक्षिण पैवेलियन के सिविल कार्य हेतु राशि रू. 514.00 लाख एवं विद्युत कार्य हेतु राशि रू. 217.22 लाख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार दक्षिण पैवेलियन के सिविल कार्य हेतु राशि रू. 514.00 लाख एवं विद्युत कार्य हेतु राशि रू. 217.22 लाख का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: प्राधिकरण कार्यालय में फोटो कॉपी का कार्य

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण कार्यालय में फोटो कॉपी का कार्य की एकल निविदा और प्रस्तुत दरो के अनुमोदन हेतु।

प्राधिकरण कार्यालय में फोटो कॉपी का कार्य की एकल निविदा और प्रस्तुत दरो को कार्यकारी समिति (EC) की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः एकल निविदा और प्रस्तुत दरो को कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

विषय :– फोटो कॉपी करने का कार्य (वार्षिक अनुबंध में) की स्वीकृत दरे

क्र.सं	आईटम का विवरण	मात्रा	युनिट	स्वीकृति दर
1.00	फोटो कॉपी का कार्य			
2.00	B/W दरे प्रति कॉपी (एक तरफ)			
3.00	A4 size	1.00	Each	0.45
4.00	A3 size	1.00	Each	0.36
5.00	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	0.45
6.00	17'x36'	1.00	Each	0.54
7.00	18'x36'	1.00	Each	0.54
8.00	20'x36'	1.00	Each	0.54
9.00	23'x36'	1.00	Each	0.54
10.00	30'x36'	1.00	Each	0.54

Scanned with CamScanner

11.00	40'x36'	1.00	Each	0.54
12.00	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.72
13.00	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.72
14.00	**B/W** दरे प्रति कॉपी (दोनो तरफ)			
15.00	A4 size	1.00	Each	0.45
16.00	A3 size	1.00	Each	0.36
17.00	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	0.45
18.00	17'x36'	1.00	Each	0.54
19.00	18'x36'	1.00	Each	0.54
20.00	20'x36'	1.00	Each	0.54
21.00	23'x36'	1.00	Each	0.54
22.00	30'x36'	1.00	Each	0.54
23.00	40'x36'	1.00	Each	0.54
24.00	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.72
25.00	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.72
26.00	**Colour** दरे प्रति कॉपी (एक तरफ)			
27.00	A4 size	1.00	Each	4.50
28.00	A3 size	1.00	Each	4.50
29.00	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	4.50
30.00	17'x36'	1.00	Each	4.50
31.00	18'x36'	1.00	Each	4.50
32.00	20'x36'	1.00	Each	4.50
33.00	23'x36'	1.00	Each	4.50
34.00	30'x36'	1.00	Each	4.50
35.00	40'x36'	1.00	Each	4.50
36.00	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.81
37.00	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.81
38.00	**Colour** दरे प्रति कॉपी (दोनो तरफ)			
39.00	A4 size	1.00	Each	4.50
40.00	A3 size	1.00	Each	4.50
41.00	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	4.50
42.00	17'x36'	1.00	Each	4.50
43.00	18'x36'	1.00	Each	4.50
44.00	20'x36'	1.00	Each	4.50
45.00	23'x36'	1.00	Each	4.50
46.00	30'x36'	1.00	Each	4.50
47.00	40'x36'	1.00	Each	4.50
48.00	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.81
49.00	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.81
50.00	पेनड्राईव से **B/W** दरे प्रति कॉपी (एक तरफ)			
51.00	A4 size	1.00	Each	0.45
52.00	A3 size	1.00	Each	0.36

Scanned with CamScanner

53.00	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	0.45
54.00	17'x36'	1.00	Each	0.54
55.00	18'x36'	1.00	Each	0.54
56.00	20'x36'	1.00	Each	0.54
57.00	23'x36'	1.00	Each	0.54
58.00	30'x36'	1.00	Each	0.54
59.00	40'x36'	1.00	Each	0.54
60.00	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.81
61.00	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.81
62.00	पेनड्राईव से B/W दरे प्रति कॉपी (दोनो तरफ)			
63.00	A4 size	1.00	Each	0.45
64.00	A3 size	1.00	Each	0.36
65.00	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	0.45
66.00	17'x36'	1.00	Each	0.54
67.00	18'x36'	1.00	Each	0.54
68.00	20'x36'	1.00	Each	0.54
69.00	23'x36'	1.00	Each	0.54
70.00	30'x36'	1.00	Each	0.54
71.00	40'x36'	1.00	Each	0.54
72.00	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.81
73.00	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.81
74.00	पेनड्राईव से Colour दरे प्रति कॉपी (एक तरफ)			
75.00	A4 size	1.00	Each	4.50
76.00	A3 size	1.00	Each	4.50
77.00	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	4.50
78.00	17'x36'	1.00	Each	4.50
79.00	18'x36'	1.00	Each	4.50
80.00	20'x36'	1.00	Each	4.50
81.00	23'x36'	1.00	Each	4.50
82.00	30'x36'	1.00	Each	4.50
83.00	40'x36'	1.00	Each	4.50
84.00	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.81
85.00	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.81
86.00	पेनड्राईव से Colour दरे प्रति कॉपी (दोनो तरफ)			
87.00	A4 size	1.00	Each	4.50
88.00	A3 size	1.00	Each	4.50
89.00	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	4.50
90.00	17'x36'	1.00	Each	4.50
91.00	18'x36'	1.00	Each	4.50
92.00	20'x36'	1.00	Each	4.50
93.00	23'x36'	1.00	Each	4.50
94.00	30'x36'	1.00	Each	4.50

Scanned with CamScanner

95.00	40'x36'	1.00	Each	4.50
96.00	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.81
97.00	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.81
98.00	स्पारयल बाईडिंग करने का कार्य			
99.00	Up to 50 Page (A4Size)	1.00	Each	5.00
100.00	Up to 100 Page (A4Size)	1.00	Each	5.00
101.00	More than 100 Page (A4Size)	1.00	Each	5.00
102.00	Up to 50 Page (FS Size)	1.00	Each	5.00
103.00	Up to 100 Page (FS Size)	1.00	Each	5.00
104.00	More than 100 Page (FS Size)	1.00	Each	5.00

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: माननीय मंत्री महोदय (नगरीय विकास विभाग) के जोधपुर प्रवास के दौरान दो दिवसीय टूर हेतु होटल बुकिंग के संदर्भ में।

क्र.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार तथ्य प्रस्तुत है	माननीय मंत्री महोदय (नगरीय विकास विभाग) के जोधपुर प्रवास के दौरान दो दिवसीय प्रवास हेतु होटल बुकिंग के भुगतान की स्वीकृति के संबंध मे।

माननीय मंत्री महोदय (नगरीय विकास विभाग) के दिनांक 27.11.2020 व 28.11.2020 को जोधपुर प्रवास के दौरान उच्चाधिकारियो द्वारा होटल ताज हरि महल में कमरा बुक कराया गया जिसके तहत श्री प्रदीप हुड्डा कनिष्ठ अभियंता (राशि रू. 30000/– तथा श्री हेमंत पटेल कनिष्ठ अभियंता (राशि रू. 30000/–) का भुगतान नकद कर दिया गया।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक में उक्त कार्य पर हुये व्यय एवं कार्योतर स्वीकृति तथा संबंधित कनिष्ठ अभियंताओ को पुर्नभरण भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने तथा संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता को पुर्नभरण भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ फोर्ट, जोधपुर तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य" के संबंध में।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

Scanned with CamScanner

पत्रावली के पैरा /35 में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राधिकरण के जोन उतर द्वारा प्रस्तावित कार्य "घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ फोर्ट, जोधपुर तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य" हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक 1010/2020–21, दिनांक 29.12.2020 जारी की गई थी, जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 1090.00 लाख है।

अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए जारी स्वीकृति की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये प्रतिमाह संविदा पर कार/जीप बोलेरो /एस.यु.वी कार्य की अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति एंव समयावधि बढाने हेतु।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये प्रतिमाह संविदा पर कार/जीप बोलेरो /एस. यु.वी कार्य की अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति एंव समयावधि बढाने हेतु।	कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उक्त कार्य हेतु राशि रू 27.25 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति एंव समयावधि आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति में अनुमोदन कि प्रत्याशा में स्वीकृत की गई अतः अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति एंव समयावधि बढाने के अनुमोदन की अनुशंषा की जाती है।

प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये संविदा के आधार पर किराये के वाहन लेने हेतु वितीय वर्ष 2019–20 हेतु राशि रू 130.00 लाख कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 18.10. 2019 द्वारा स्वीकृत की गई। निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा आदेश क्रमांक 956 दिनांक 19.09.2019 द्वारा प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी की गई। नियमानुसार निविदा जारी कर न्यूनतम दर दाता मैसर्स मनीराम चौधरी को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 548–555 दिनांक 28.11.2019 द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा मे कार्यादेश जारी किया गया जिसे कार्यकारी समिति कि बैठक दिनांक 20.02.2020 में अनुमोदित किया गया। कोविड–19 महामारी के कारण नई प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी कर निविदा स्वीकृति में समय लगने की संभावना के कारण राशि रू 27.25 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति एंव दर संविदा की समयावधि 3 माह अर्थात दिनांक 27.12.2021 तक अथवा नई निविदा जारी कर कार्यादेश देने कि दिनांक तक मे से जो भी पहले हो तक श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा मे स्वीकृत की गई। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73(ख) के प्रावधान अनुसार माल एंव सेवाओ के मुल्य का 50 प्रतिशत तक आदेश की सीमा बढाई जा सकती है तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(झ) अनुसार वार्षिक दर संविदा की समयावधि 3 माह तक बढाई जा सकती है। अतः कार्य की अतिरिक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति राशि रू 27.25 लाख एंव संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति राशि रू 157.25 लाख तथा नई निविदा जारी कर कार्यादेश जारी कर देने के फलस्वरूप उक्त दर संविदा की अवधि 31.01.2021 तक बढाये जाने के निर्णय के अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 14 :: प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये प्रतिमाह संविदा पर कार/जीप बोलेरा/एस.यु.वी की निविदा स्वीकृति प्रकरण ।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये प्रतिमाह संविदा पर कार जीप/बोलेरो एस.यु.वी की निविदा स्वीकृति प्रकरण	कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उक्त निविदा श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति में अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत की गई अतः निविदा अनुमोदन कि अनुशंषा की जाती है।

प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये संविदा के आधार पर किराये के वाहन लेने हेतु वितीय वर्ष 2020–21 एंव 2021–2022 हेतु राशि रू 200.00 लाख की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति कार्यकारी की बैठक दिनांक 07.10.2020 द्वारा अनुमोदन पश्चात् निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा आदेश क्रमांक 1766 दिनांक 14.10.2020 द्वारा राशि रू 200.00 लाख की जारी की गई। प्राधिकरण के जोन पूल द्वारा ई–निविदा सूचना सं. 21/2020–21 दिनांक 23.11.2020 जारी की गई। निविदा अनुसार ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने कि अन्तिम दिनांक 16.12.2020 एंव तकनीकी बिड खोलने कि निर्धारित दिनांक 17.12.2020 थी। दिनांक 17.12.2020 को तकनीकी बिड खोली गई जिसमें मैसर्स मनीराम चौधरी की एकल बिड प्राप्त हुई। मैसर्स मनीराम चौधरी द्वारा निविदा में वांछित तकनीकी योग्यता पूर्ण करने के कारण तथा कार्य की आवश्यकता एंव चालु दर संविदा की समयावधि पूर्ण होने की दिनांक निकट होने के कारण उपापन समिति द्वारा मैसर्स मनीराम चौधरी को तकनीकी बिड में सफल (Responsive) घोषित करते हुए वितीय बिड खोलने कि अनुशंषा की गई। दिनांक 29.12.2020 को वितीय बिड खोली गई जिसमें निम्नानुसार दरें प्राप्त हुई :–

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तुत दरें
1.	2000 कि.मी तक चलने पर प्रतिमाह प्रतिवाहन की दरें	33500/– प्रतिमाह जी.एस.टी अतिरिक्त
2.	2000 कि.मी से अधिक चलने पर अधिक किमी की दरे प्रति कि.मी	8.50/– प्रति कि.मी जी.एस.टी अतिरिक्त

उपरोक्त दरें गत वर्ष स्वीकृत दरों से अधिक होने के कारण प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 315 दिनांक 29.12.2020 द्वारा नेगोसियेशन हेतु फर्म को लिखा गया। मैसर्स मनीराम चौधरी द्वारा दिनांक 30.12.2020 को कार्यालय मे उपस्थित होकर निम्नानुसार नेगोसियेशन दरें प्रस्तुत कि गई :–

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तुत दरें
1.	2000 कि.मी तक चलने पर प्रतिमाह प्रतिवाहन की दरें	31500/– प्रतिमाह जी.एस.टी अतिरिक्त
2.	2000 कि.मी से अधिक चलने पर अधिक किमी की दरे प्रति कि.मी	8.50/– प्रति कि.मी जी.एस.टी अतिरिक्त

संवेदक द्वारा उपरोक्त दरें प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि गत वर्ष कि तुलना में डीजल/पेट्रोल के दरों में लगभग 35 से 36 प्रतिशत बढोतरी हुई है तथा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017 अथवा इसके पश्चात के मॉडल चाहे गये है साथ ही वाहन चालको के वेतन इत्यादि के भुगतान एंव वाहनो के रखरखाव एंव मरम्मत पर अधिक व्यय होने के कारण उपरोक्त दरें उचित बताते हुए कार्यादेश जारी करने का निवेदन किया गया। उपापन समिति द्वारा बाजार मे डीजल एंव पेट्रोल की दरों में अधिक वृद्धि होने तथा मंहगाई में उत्तरोतर वृद्धि होने की परिस्थितियों को देखते हुए प्राप्त दरें उचित मानते हुए स्वीकृति की अनुशंषा की गई। उपापन समिति की अनुशंषा अनुसार

Scanned with CamScanner

आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में दरें स्वीकृत की गई तथा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 335 दिनांक 21.01.2021 द्वारा मैसर्स मनीराम चौधरी को कार्यादेश जारी किया गया। जो दिनांक 01.02.2021 से प्रभावी है।

प्राधिकरण मे प्रचलित शेडयूल ऑफ पावर II (माल एंव सेवाओ) के आईटम सं. 1 के अनुसार 25.00 लाख से अधिक के उपापन की स्वीकृति की क्षमता "कार्यकारी समिति" मे निहित होने के फलस्वरूप निम्नानुसार स्वीकृत दरें अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तुत दरें
1.	2000 कि.मी तक चलने पर प्रतिमाह प्रतिवाहन की दरें	31500/– प्रतिमाह जी.एस.टी अतिरिक्त
2.	2000 कि.मी से अधिक चलने पर अधिक किमी की दरे प्रति कि.मी	8.50/– प्रति कि.मी जी.एस.टी अतिरिक्त

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में स्वीकृत दरों एंव उक्त कार्यादेश के उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव में वर्णित दरों को स्वीकृत करते हुए कार्यादेश जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता के नियुक्ति का कार्योतर स्वीकृति प्रस्ताव बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अधीनस्थ न्यायालयो एवं उपभोक्ता न्यायालयो में पैरवी हेतु श्री अरूण पारख पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति, कार्यालय आदेश कमांक F–42/ विधि/जेडीए/2020/6048–55 दिनांक 28.12.2020 द्वारा कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई थी।

पैनल अधिवक्ता का विवरण निम्नानुसार है :–

नाम : श्री विनय कोठारी
पता : 947, 11वीं डी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर
पंजीयन संख्या : 1231/2007
मो.नं. : 9462050200

खर्चे एवं नियुक्ति की शर्ते :–

पैनल अधिवक्ता को निम्नानुसार फीस एवं खर्चे देय होंगे :–

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर – प्रति प्रकरण 7,000/–मात्र
2. अन्य खर्चे :– राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित

शर्ते :–

01. उक्त नियुक्त अधिवक्ता को प्राधिकरण को यह लिखित में अण्डरटेंकिग देना होगा कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण पैरवी हेतु नही लिया जावेगा।

02. प्राधिकरण के संबंधित किसी भी मुकदमें का निर्णय होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता का उस मुकदमें की पत्रावली व प्राधिकरण की पत्रावली मय निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट भेजने के पश्चात ही उसको मेहनताना का अन्तिम भुगतान किया जाएगा। यह कार्यवाही प्रभारी अधिकारी विधि शाखा/विधि अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

03. नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण की तारीख पेशियों से पूर्व प्रभारी अधिकारी को अवगत करायेगें। जवाब दावा तैयार करने में प्रभारी अधिकारी की ओर से देरी होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेगें।

04. निर्णय होने के 7 दिवस में निर्णय की प्रति मय राय से अवगत करायेगें। यदि न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रति उक्त अवधि में नहीं दी जाती हैं तो मौखिक रूप से प्रभारी अधिकारी को सूचित करेंगे।

Scanned with CamScanner

05. प्राधिकरण संबंधित पूर्व में जो प्रकरण विभिन्न न्यायालय में निर्णित हो गये हैं उनके अधिवक्ता से भी आग्रह है कि कृपया उन मुकदमों की पत्रावलियों एवं प्राधिकरण की संबंधित पत्रावलियां जो भी आपके पास हो उन्हे आगामी एक माह में प्रभारी अधिकारी/विधि शाखा/विधि अधिकारी को सम्भालने का कष्ट करावें

06. नियुक्त अधिवक्ता उन्हें आंवटित प्रकरणों की मासिक प्रगति से निर्धारित प्रारूप में निदेशक (विधि) को अवगत करायेंगे।

07. पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तों एवं भुगतान के संबंध में जहां प्राधिकरण द्वारा कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। वहां विधि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/आदेश लागू होगें।

उक्तानुसार श्री विनय कोठारी, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में प्राधिकरण की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्ति की स्वीकृति का कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित निदेशक–विधि ने अवगत कराया कि प्रस्ताव में लिपिकीय त्रुटि से अधिवक्ता का नाम श्री अरूण पारख अंकित हो गया है जो वास्तव में विनय कोठारी है। अतः तद्नुसार निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव अनुसार अधिवक्ता नियुक्ति एवं फीस भुगतान के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: **श्रीमान् महाधिवक्ता महोदय के Professional Fees की कार्योत्तर स्वीकृति संबंध में प्रस्ताव। डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 6111/2017 गणपत सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य व अवमानना कार्यवाही में महाधिवक्ता महोदय के Professional Fees बिल के कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।**

उक्त जनहित याचिका ग्राम पंचायत कालीजाल एवं निम्बली के गैर मुमकिन ओरण, नाड़ी की भूमि के अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने हेतु दायर की गई है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित निर्देश दिए है। प्रकरण की गंभीरता एवं अंर्तवस्तु को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की ओर से महाधिवक्ता महोदय द्वारा पैरवी की गई है।

श्रीमान् महाधिवक्ता महोदय के कार्यालय से पत्र दिनांक 26.01.2021 के द्वारा प्राधिकरण की ओर से पैरवी पर निम्नानुसार Professional Fees बिल प्रस्तुत किया है जिसका कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रस्तावित है :–

S.No.	Particulars	Fee
1.	Fees per Appearance in D.B. CWP 6111/2017	Rs. 3,30,000+10% Clerkage
2.	Fees per Appearance in Contempt Proceedings drawn vide order dated 16.12.2020 in D.B. CWP 6111/2017	Rs. 3,30,000+10% Clerkage
3.	Fees per Pleading	Rs. 3,30,000+10% Clerkage

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित निदेशक–विधि प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुतत की। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 16 (A) :: **श्रीमान् महाधिवक्ता महोदय के Professional Fees की कार्योत्तर स्वीकृति संबंध में प्रस्ताव। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 13076/2020 राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में महाधिवक्ता महोदय के Professional Fees बिल के कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।**

उक्त खण्डपीठ याचिका संख्या 13076/2020 राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य रामराज नगर योजना के संबंध में है तथा याचिकार्थी द्वारा उक्त योजना में कॉर्नर भूखण्डों की खुली निलामी के द्वारा बेचाने की कार्यवाही के विरूद्ध भी अनुतोष चाहा गया है। माननीय उच्च न्यायालय में श्रीमान् महाधिवक्ता महोदय द्वारा अप्रार्थी प्राधिकरण की ओर से भी उपस्थिति देते हुए पैरवी की गई है।

श्रीमान् महाधिवक्ता महोदय के कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 26.01.2021 के द्वारा Professional Fees बिल निम्नानुसार प्रस्तुत किया है जिसका कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तावित है :–

S.No.	Particulars	Fee
1.	Fees per Appearance	Rs. 3,30,000+10% Clerkage
2.	Fees per Pleading	Rs. 3,30,000+10% Clerkage

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित निदेशक–विधि प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुतत की। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: **Preparation of GIS Application based Zonal Development Plan for North Zone part (As per scopes of work) की कन्सलटेंसी लागत राशि रूपये 106.40 लाख है, की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति टर्म ऑफ रेफ्रेंस अनुमोदन एवं कन्सलटेंट नियुक्त करने की पुष्टि एवं निविदा की दर स्वीकृति का प्रस्ताव।**

क्र. स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति टर्म ऑफ रेफ्रेंस अनुमोदन एवं कन्सलटेंट नियुक्त करने की पुष्टि एवं निविदा की दर स्वीकृति का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार द्वारा संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर का पत्रांक प.18(35)नविवि/सेक्टर प्लान/2015 दिनांक 11.02.2020 के क्रम में उक्त कार्य की निविदा कार्यवाही आरंभ की गयीं। उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक 533 दिनांक 25.08.2020 को राशि रूपये 106.64 की जारी की गयी थी। तथा उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एसई–II(N)/2020–21/07 दिनांक 07/09/2020 राशि रूपये 106.40 लाख की जारी की गयी थी। उक्त कार्य की निविदा दिनांक 08.09.2020 को जारी की जाकर दिनांक 02.12.2020 को तकनीकी निविदा खोली गयी। तत्पश्चात् दिनांक 22.01.2021 को उक्त कार्य की वितीय निविदा खोली गयी। जिसमें M/s Yashi Consulting Services Private Limited को नेगोशियेशन पश्चात् प्रति–प्रस्ताव (counter offer) द्वारा रूपये 310/– प्रति हैक्टैयर के आधार पर दर स्वीकृत हेतु सहमति ली गयी। संवेदक द्वारा दर सहमति के आधार पर पत्रावली के पैरा एन/186 में उक्त कार्य की कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में निविदा की दर स्वीकृति का निर्णय लिया गया तथा संवेदक को Letter Of Intent जारी किया गया।

Scanned with CamScanner

अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में Preparation of GIS Application based Zonal Development Plan for North Zone part (As per scopes of work) हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रूपये 106.40 लाख की स्वीकृति, टर्म ऑफ रेफरेंस की स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं M/s Yashi Consulting Services Private Limited द्वारा प्रस्तुत दर अनुसार कन्सलटेंट नियुक्त करने की पुष्टि हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार दर अनुमोदन एवं कन्सलटेन्ट नियुक्त करने की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 66/4 में स्थित पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 1, 2, 3 (भाग) कुल रकबा 2009.99 वर्गगज के वर्तमान भू उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम पाल के खसरा संख्या 66/4 में स्थित पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 1, 2, 3 (भाग) कुल रकबा 2009.99 वर्गगज के वर्तमान भू उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थभू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/18/2019 आवेदक श्रीमती बसन्ती पत्नि श्री ओम प्रकाश।)

आवेदक द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 11 जुलाई, 2020 एवं राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक– 11 जुलाई, 2020 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया, जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार भूमि का वर्तमान भू–उपयोग लैण्ड यूज प्लान–2023 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, मुख्य सड़क (जैसलमेर) का मार्गाधिकार 200' एवं उसके पश्चात् 75' भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित की गई है। नगर विकास न्यास द्वारा उक्त वृक्षारोपण पट्टी की भूमि को छोड़कर पट्टा विलेख जारी किया गया है। जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूखण्डों के सामने स्थित वृक्षारोपण पट्टी का पट्टा विलेख हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा उक्त वृक्षारोपण पट्टी का पट्टा विलेख जारी किया जा चुका है। जिससे आवेदित भूखण्डों को पहुँच मार्ग उपलब्ध होगा।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड मौके पर रिक्त है, व भूखण्ड के ऊपर से एच. टी./एल.टी. लाईन नहीं गुजर रही है। साथ ही भूखण्डों के 2 कि.मी. की परिधि में कोई अन्य पेट्रोल पम्प नहीं है, एवं 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील ईकाई नहीं है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पाल के खसरा संख्या 66/4 के आवेदित भूखण्ड संख्या 1, 2, 3 का भाग श्रीमती बसन्ती चौधरी पत्नि श्री ओमप्रकाश चौधरी के नाम से प्राधिकरण में नाम–हस्तानान्तरण किया जा चुका है।

आवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्डों के संबंध में कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

Scanned with CamScanner

आयोजना शाखा की चैक लिस्ट अनुसार मुख्य सड़क जोधपुर से जैसलमेर बाईपास का मार्गाधिकार 200′ एवं इसके पश्चात् 75′ भूमि (जारी पट्टा विलेख अनुसार) प्लान्टेशन के अन्तर्गत आरक्षित है। प्रश्नगत भूखण्ड आवासीय योजना का भाग है, जिसमें कुल 9 भूखण्ड है तथा समस्त 9 भूखण्ड 200′ बाईपास सड़क पर स्थित है। नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा समस्त 9 भूखण्डों के **Individual** आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किए गये है। प्राधिकरण द्वारा संयुक्तिकरण आदेश क्रमांक एफ–37/6/निदे.आयो./पुनर्गठन/2020/1751 दिनांक– 07.07.2020 को जारी किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 23.05.2018 में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन को व्यापक जनहित की श्रेणी में रखा गया है, एवं कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र के आस–पास वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित है। उक्त पेट्रोल पम्प की स्थापना से आस–पास के लोगों के लिए ईधन की उपलब्धता की सुविधा होगी तथा रोजगार की संभावनाएं भी बढेगी। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक– 21.11.2019 के क्रम में प्रकरण को राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक–आयोजना द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्ताव टेबल एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत हुए जिनको सर्व सम्मति से बैठक में सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 19 :: महात्मा गांधी आवासीय योजना की आरक्षित दर निर्धारण बाबत।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1–	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया है।	भूमि निस्तारण के नियम–12 के अन्तर्गत आरक्षित दर निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा अभिशंषा की गई। उक्त समिति द्वारा महात्मा गांधी आवासीय योजना की आरक्षित दर राशि रूपये 13000/– प्रति वर्ग मीटर निर्धारित कर कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए महात्मा गांधी आवासीय योजना की आरक्षित दर 13000/– रूपये प्रति वर्ग मीटर आवासीय निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 20 :: **ग्राम पंचायत सर के खसरा संख्या 187 किस्म गै.मु. गोचर में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत सर के खसरा संख्या 187 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत सर के खसरा संख्या 187 किस्म गै.मु गोचर में पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी (दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सर के खसरा सख्या 187 रकबा 610.12 बीघा किस्म गै. मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 187 ग्राम सर का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। आवासीय डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटिज को Permissible on all roads after approval from competent authority अंकित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 187 ग्राम सर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 694 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में दिनांक 28.12.2020 को श्री खेमसिंह जोधा के द्वारा आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर लिखा कि उक्त खसरे की भूमि की किस्म गोचर भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में होने के कारण आवंटन किया जाना विधि के विरूद्ध है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के कम में 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को नगरीय विकास

विभाग के आदेश कमांक प.3 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26 नवम्बर, 2020 की अनुपालना में आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: **ग्राम पंचायत भाण्डूखुर्द के खसरा संख्या 71 किस्म गै.मु. गोचर में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत भाण्डूखुर्द के खसरा संख्या 71 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत भाण्डूखुर्द के खसरा संख्या 71 किस्म गै.मु गोचर में पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी (दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार ग्राम भाण्डूखुर्द के खसरा सख्या 71 रकबा 247.06 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 71 ग्राम भाण्डूखुर्द का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। औद्योगिक की डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटिज को Permissible on all roads after approval from competent authority अंकित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 71 ग्राम भाण्डूखुर्द की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 698 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में दिनांक 28.12.2020 को श्री खेमसिंह जोधा के द्वारा आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर लिखा कि उक्त खसरे की भूमि की किस्म गोचर भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में होने के कारण आवंटन किया जाना विधि के विरूद्ध है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

Scanned with CamScanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के कम में 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.3 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26 नवम्बर, 2020 की अनुपालना में आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: **ग्राम पंचायत सिणली के खसरा संख्या 81 किस्म गै.मु. गोचर में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत सिणली के खसरा संख्या 81 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत सिणली के खसरा संख्या 81 किस्म गै.मु गोचर में पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी (दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सिणली के खसरा सख्या 81 रकबा 298.03 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 81 ग्राम सिणली का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। आवासीय डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटिज को Permissible on all roads after approval from competent authority अंकित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 81 ग्राम सिणली की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 696 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में दिनांक 26.12.2020 को श्री रामनिवास के द्वारा आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर लिखा कि उक्त खसरे की भूमि की किस्म गोचर भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में होने के कारण आवंटन किया जाना विधि के विरुद्ध है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो यां रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

Scanned with CamScanner

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26 नवम्बर, 2020 की अनुपालना में आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: **ग्राम पंचायत घंटियाला पंचायत भवन निर्माण हेतु ख सं. 68 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हेतु।**

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव**
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत घंटियाला पंचायत भवन निर्माण हेतु ख सं. 68 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर एवं विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पोपावास द्वारा प्रपत्र स व परिशिष्ट 01 प्रस्तुत कर उसके साथ राजस्व नक्शा, जमाबंदी प्रस्तुत कर ग्राम घंटियाला के खसरा सं. 68 में ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु 5 बीघा का निशुल्क आवंटन चाहा गया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा सं. 68 ग्राम घंटियाला रकबा 30–12 बीघा किस्म गैर मु. गोचर है। भूमि मौके पर खाली है तथा उक्त खसरा प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि के संबंध में कोई वाद लंबित नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तथा अनुज्ञेय होना बताया है।

एसीपी की रिपोर्ट अनुसार प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड की गई उक्त समयावधि में कोई उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है। राज्य सरकार का पत्र दिनांक 29.4.2020 के अनुसार 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने के निर्देश है तथा राज्य सरकार की स्वीकृति (अनुमोदन) के पश्चात ही आवंटन पत्र व कब्जा दिया जा सकता है।

प्रकरण ईसी बैठक में रखा जाने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26 नवम्बर, 2020 की अनुपालना में आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 24 :: **ग्राम पंचायत धिगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी–चतुर्थ में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत धिगांणा के खसरा संख्या 192 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत धिगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी–चतुर्थ में पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी (पूर्व) की रिपोर्ट अनुसार ग्राम धिगांणा के खसरा सख्या 192 रकबा 86.13 बीघा किस्म बारानी-चतुर्थ राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 192 ग्राम धिगांणा का भू–उपयोग ग्रामीण एरिया में स्थित है व खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) ग्रामीण एरिया डीसीआर अनुसार पब्लिक यूटिलिटिज को Permissible on all roads after approval from competent authority दर्शाया है। गर्वमेन्ट/सैमीगर्वमेन्ट उपयोग हेतु पृथक से उल्लेख नहीं है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 192 ग्राम धिगांणा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 38 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः बैठक में उचित निर्णयार्थ पेश है।

Scanned with CamScanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के कम में 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.3 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26 नवम्बर, 2020 की अनुपालना में आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: ग्राम पंचायत आकथली के खसरा संख्या 313 किस्म गै.मु. गोचर में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत आकथली के खसरा संख्या 313 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत आकथली के खसरा संख्या 313 किस्म गै.मु. गोचर में पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी (पूर्व) की रिपोर्ट अनुसार ग्राम आकथली के खसरा सख्या 313 रकबा 43.15 बीघा किस्म गै. मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 313 ग्राम आकथली का भू–उपयोग मास्टर प्लान– 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है व मास्टर प्लान सड़क से प्रभावित नहीं है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति सुझाव विश्लेषण एमडीपी–2031 के अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 04.07.2019 व प्राधिकरण बैठक दिनांक 02.08.2019 में अनुमोदित ग्रामीण एरिया डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट/सैमीगर्वमेन्ट उपयोग हेतु पृथक से उल्लेख नहीं है। पब्लिक यूटिलिटिज को Permissible on all roads after approval from competent authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 313 ग्राम आकथली की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 42 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में दिनांक 29.12.2020 को श्री सोहनलाल पंवार के द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में आपत्ति दर्ज की गई है। उक्त आपत्ति में गोचर भूमि के आवंटन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में गोचर भूमि का विभिन्न प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाता रहा है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु

Scanned with CamScanner

1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः बैठक में उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26 नवम्बर, 2020 की अनुपालना में आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2019/ भाग–11/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या .82..../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

5/2/21

(हरभान मीना)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2021/177 से 193 दिनांक :: 05 फरवरी, 2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर

Scanned with CamScanner

07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

5/7/21

(हरभान मीना)
सचिव

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–1

दिनांक 5 फरवरी, 2021 को प्रातः 11.00 बजे श्री कमर चौधरी, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती अपूर्वा पोरवाल, ए.सी.ई.एम (फास्ट ट्रैक), जोधपुर
2. श्री एम.एस. चारण, अधीक्षण अभियन्ता शहर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
3. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4. श्री चीमा राम प्रजापत, पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, जोधपुर
5. श्री ओ.पी. सुथार, अधिशाषी अभियन्ता, डिस्कॉम, जोधपुर
6. श्री सुनिल हर्ष, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
7. श्री नवनीत राज त्रिवेदी, सहायक अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
8. श्री कैलाश दान, पुलिस निरीक्षक, कार्यालय पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जोधपुर
9. श्री ओम प्रकाश सीरवी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री लाडुराम, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री राजेश वर्मा, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्रीमती कंचन राठौड़, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री रोहित कुमार, उपायुक्त–मुख्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री हरभान मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Scanned with CamScanner